Before The National Green Tribunal Principal Bench,
New Delhi
M.A.NO - 61/2023
in
O.A No. 736/2018

Annexture-

SL No.	Date	Particulars	Page
1.	22-1-2025	Affidavit	1
2.	21-1-2025	Application in English	2-7
3.	21-1-2025	Application in Hindi	8-14
4	27-12-1993	Certified copy of the registry of the applicant's mother Vita Mithlesh Kumari and Shri Kishan Gupta.	15-35
5	9-1-2025	Criminal history sheet of Abdul Aziz S/o Nawaz Khan obtained by the applicant from the Public Information Officer, Senior Supprintendent of Police, Meerut	36
6	20-9-2021	Certified copy of the appeal dismissed by Mehar Singh by the Court Commissioner, Meerut.	37-38
7	15-1-2025	Copy of the application given by the applicant to Selva Kumari J, Commissioner Meerut.	39-40
8	25-1-2000	An application was given to the District Magistrate, Meerut to prevent encroachment on "Saipuram Public Park"	41

Date – 22-1-2025

C.S. Gupta

Applicant
Chandra Shekhar Gupta
103, Street No. 3, Sai Puram,
Delhi Road, Meerut-250002
Police Station - Bhrampuri
M-No-7906792648

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

(U/s 26 of the National Green Tribunal Act 2010)

M.A. No. 61/2023
in
O.A. No. 736/2018

In the matter of :

Chandra Shekhar Gupta ....Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh ....Respondent

Affidavit

I Chander Shekhar Gupta S/o Late Shrikishan Gupta R/o 103, Gali No. 3, Sai Puram, Delhi Road, Meerut (U.P.) do hereby solemnly verify and declare as under:-

That the content of the accompanying application are true and to the best of my knowledge and belief.

That the annexure are true copy of its original.

NOTARY PUBLIC GOVT. OF INDIA

C.S. Gupta

Deponent

Verification:-

Verified at Meerut on ______________ that the affidavit are true and correct to the best of our knowledge and belief and nothing has been concealed there from nor any part of its is false.

C.S. Gupta

Deponent

Dated: 21-1-2025

ATTESTED 22/01/25

AKHILESH KUMA

NOTARY MEERUT

Before The National Green Tribunal
Principal Bench, New Delhi
M. A No. 61/2023
in
Original Application No. 736/2018.

Chandra Shekhar Gupta ... Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & others ... Respondent(s)

Respected Judge Sir,

During the virtual hearing on 30-9-2024 in tribunal, Abhishek Pandey, Vice-Chairman, Meerut Development Authority said that we have completely failed on the report sent on 'Saipuram Public Park'.

The report sent by the Vice President- Meerut Development Authority to tribunal on 31-12-2024 is completely wrong and fake. Abhishek Pandey - Vice President, Meerut Development Authority is completely in cahoots with the people who have occupied the public park and have sold it. Because the land of the public park is worth about thirty crore rupees.

In serial no. 6, Annexure-5, Abdul Aziz, son of Nawaz Khan, who developed Saipuram Colony, has given a lie by giving an affidavit that 30 years ago he had sold the property to Saipuram Noor Nagar.

The applicant had purchased 960 sq. yard land in Sai Puram in the name of his parents Mithlesh Kumari and Shri Kishan Gupta from Kamlesh Kumar, Sudhir Kumar etc. on 27-12-1993.

Kamlesh Kumar, Sudhir Kumar etc. had purchased this land from Shri Abdul Aziz on 12-08-1983. All these details are written in the registry of the land purchased by the applicant on 27-12-1993.

For developing Sai Puram colony, four brothers including Abdul Aziz etc had got map no. 61 dated 30-12-1982 to 29-12-1985 passed from Meerut Development Authority.

The applicant has attached a certified copy of the registry of his parents. Abdul Aziz son of Nawaz Khan resident of Lisadi Darwaza has served jail sentence several times for selling a plot to several people. On 9-1-2025, the applicant has sought information about the criminal history of Abdul Aziz from the Public Information Officer Senior Superintendent of Police, Meerut.

Serial No.7 Annexture-6- Abhishek Pandey-Vice Chairman- Meerut Development Authority has also taken a false affidavit from Madhukar Sahay. I had taken map of Saipuram Colony Saraya-61 dated 30-12-1982 to 29-12-1985 from Meerut Development Authority in 1994. This map is in a very weak condition with me. If the tribunal wants, it can get this map forensically examined in **CFSL** lab of Central Bureau of Investigation (CBI). I will hand over this map to the tribunal.

Serial No. 9 Annexure-9- has attached a copy of the order of case number 03/2001 Ajay Sehgal etc vs Raghuvir Singh dated 28-1-2002 by A.C.M (Second). Ajay Sehgal was the president of Saipuram Colony at that time.

And Raghuvir Singh encroached upon the public park and in connivance with Mehar Singh, the case was not investigated properly. Later Ajay Sehgal encroached upon the public park of Jagannathpuri Colony. The applicant filed a case in the tribunal - 1096/2024 Chandra Shekhar Gupta vs U.P. Govt. & other.

A case was filed against the government on 30/50 and the construction done by Ajay Sehgal etc. in Jagannathpuri Colony's Public Park was demolished. On 25-1-2000, application was given to the District Magistrate, Meerut regarding 'Saipuram Public Park' that land mafia wants to occupy the Public Park. Raghuvir Singh and Maihar Singh have also signed this application. Raghuvir Singh and Maihar Singh occupied the public park in the suit.

Just as a criminal commits many crimes to hide one crime, similarly Abhishek Pandey - Vice President, Meerut Development Authority is committing many crimes to save the people who have occupied 'Saipuram Public Park'.

Serial 10. In Annexure-9- a copy of the writ petition (civil) No. 295/2022, Jamiat Ulama-e-Hind, has been attached in the Hon'ble Supreme Court. **Vs** North Delhi Municipal Corp. Bath.

On 4-1-2025, Meerut Development Authority demolished the illegal construction of Rahul Chhabda inside the public park of Jagannathpuri Colony. The applicant has given information about the demolition in the Dyer case number - 1096/2024 Chandrashekhar Gupta **vs.** Government of Uttar Pradesh in the bi-monthly.

It is mentioned in **Serial No. 11, Annexure-10-** that Officer in charge of enforcement, Meerut Development Authority wrote a letter to the Police Circle Officer, Brhampuri- Meerut to demolish the illegal construction inside the public park. The demolition proceedings were only done as a show.

In **Serial No.12, Annexure-11** it is stated that Mehar Singh, An appeal has been filed in the Judicial Commissioner on 10-12-2024 by Mrs. Kiran Bhatia, Vivek Bansal- Puneet Bansal, Mrs. Beena Devi. Mehar Singh's appeal has already been cancelled. Abdul Aziz had pledged 'Saipuram Public Park' to Mehar Singh, Devendra Singh Raghuveer Singh and Suman Rani W/o Raghuveer Singh. The Judicial Commissioner had already cancelled the appeal filed by these four persons against demolition. To avoid the proceedings of the tribunal, the officers of Meerut Development Authority have got the persons occupying Public Park to file an appeal in the Judicial Commissioner, Meerut on 10-12-2024.

Serial No. 3, Annexure-2- Abhishek Pandey, Vice President- Meerut Development Authority, all the reports sent by him to tribunal are false. That is why he wants to fool tribunal by raising a drone in the air.

Sai Puram Industrial Area, Delhi Road, Meerut-U.P. has 'Sai Puram Public Park'. The size of this public park is 84 x 279 feet. Map number- 61 dated 30-12-1982 has been approved by Saipuram Industrial Area, Meerut Development Authority. The Khasra number of the public park is H-2085 E 2082. Deepak Meena.

District Magistrate - Meerut and Abhishek Pandey, Vice President - Meerut Development Authority have given wrong information about Saipuram Industrial Area. All this is a conspiracy to save the people who have occupied the public park.

1. In the report sent to the tribunal by the District Magistrate -Meerut, it was stated that the map number is not in 2 digits.It is in 4 digits. Whereas the map number of Police Station Transport Nagar, behind Jagannathpuri Colony, Bahadur Motor is 96. Map of Jagannathpuri Extension Colony is Number-97 Magantpuram Colony, Behind Gopal Gaushala, Map of Rin Meerut number 146 Dated 2-5 1985 21.
2. Vice President- Meerut Development Authority asked to get the map register from 1979 to 1988 registered and showed it to Haree A 41 for investigation.
3. Vice President - Meerut Development Authority informed Hon'ble Tribunal that there was flood in Meerut in the year 2006-2007 and in Meerut in the year 2006-2001, as soon as Maihar Singh, Devendra Singh, Raghuveer Singh and Suman Rani occupied the public park, by paying money to the officers of Meerut Development Authority, all the documents of Saipuram colony including the map were made fake.
4. On 30-9-2024, Abhishek Pandey, Meerut Development Authority, informed the Tribunal that the map of Jagannath Puri Colony, behind Bahadur Motor, Police Station Transport Nagar, Meerut is Serial No. 96.
5. On 8-9-2024, all the evidence along with the application was sent by the applicant to the National Green Tribunal.
6. Deepak Meena District Magistrate, Meerut a meeting was called at his camp office on 23-12-2023. Apart from the applicant, Ranjit Singh- OSD, MDA JE-MDA, Bhuvan Yadav Ro-District Pollution Board were present in the meeting. The District Magistrate called Abhishek Pandey - Vice President, Meerut Development Authority and said that when the map number is 60, the map number is 62. So where did map number-61 disappear? Search for map number-61. If map number-61 is not found then File an FIR against the officer who sang the map. This entire conversation lasted for 13 minutes and 22 seconds. This entire conversation was recorded on mobile.

But when the report sent to Hinpunan by Deepak Meena, District Magistrate-Meerut was changed and 2 Digit fit 4 Digit was made in it. If my conversation had not been recorded on mobile, I would have been trapped under a conspiracy. This audio recording was sent to the tribunal.

7. (1st) Map of Saipuram Colony number-61 dated 30-12-1982 to 29-12-1985.

(11nd) Jagannathpuri Colony, Behind Bahadur Motor, Transport Nagar Map is Extract-96. Map of Jagannath Puri Extension Colony, Transport Nagar is number-97.

P-6

(IIIrd) Map No. 146 of Mangatpuram Colony, Behind Gopal Gaushala, Delhi Road, dated 2-5-1989 to 1-5-1992.

8. District Magistrate's advocate Ankit Verma appeared before the Tribunal and told that the appeal of the people who had encroached the public park was pending in the court of Commissioner Meerut, therefore the case of the public park should be closed in the Tribunal, but when the appeal was dismissed in the Commissioner-Meerut Court, the information regarding this was not given to the Tribunal by the advocate.

9. District Magistrate - Meerut and Vice Chairman - Meerut Development Authority is waiting for the report sent by the applicant to the tribunal. Abhishek Pandey Vice Chairman —Meerut Development Authority was ordered by the Tribunal on 30-9-2024 to submit a new report within four weeks.

P-7

Conclusion

1. Abhishek Pandey, Vice President – Meerut Development Authority has continuously misled the tribunal.

2. Abhishek Pandey, Vice President- Meerut Development Authority has misused his position

3. Vice Chairman – Meerut Development Authority has lied by giving affidavit in the tribunal.

Prayer

1. Order immediate removal of encroachment from 'Saipuram Public Park' and order action under Land Mafia Act against those who have encroached upon the public park.

2. Abhishek Pandey- Vice President- Meerut Development Authority, for giving wrong information and hiding the correct information. A fine of Rs. 01 crores 20 lack was imposed on him.

3. Abhishek Pandey- Vice Chairman- Meerut Development Authority should be dismissed from the job immediately.

Date – 21-1-2025

C-S Gupta

Applicant
Chandra Shekhar Gupta
103, Street No. 3, Sai Puram,
Delhi Road, Meerut-250002
Police Station - Bhrampuri
M-No-7906792648

Before The National Green Tribunal.

दिनांक 30-9-2024 को ट्रिब्युनल मे वर्चुअल सुनवाई के बाद अभिषेक पाण्डे, उपाध्यक्ष - मेरठ विकास प्राधिकरण ने कहा था कि 'सांईपुरम पब्लिक पार्क' पर भेजी गयी रिपोर्ट पर हम पुरी तरह से नाकाम है फेल है।

दिनांक 31-12-2024 को ट्रिब्युनल को उपाध्यक्ष - मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट पुरी तरह से गलत है फर्जी है। अभिषेक पाण्डे - उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण पुरी तरह से पब्लिक पार्क पर कब्जा किये हुए व्यक्तियो से मिले हुए है बिके हुए है। क्योंकि पब्लिक पार्क की जमीन की कीमत लगभग तीस करोड रुपये है।

ओरीयल नं0-6 मे Annexture - 5 में सांईपुरम कालोनी विकसीत करने वाले अब्दुल अजीज पुत्र नवाज खान द्वारा शपथ पत्र देकर झुठ बोला गया है कि तीस वर्ष पहले सांईपुरम नुरनगर की सम्पत्ति बेची थी।

प्रार्थी ने अपने माता पिता मिथलेश कुमारी व श्रीकिशन गुप्ता के नाम से 960 वर्ग गज जमीन सांईपुरम में दिनांक 27-12-93 को कमलेश कुमार, सुधीर कुमार आदि से खरीदी थी। कमलेश कुमार, सुधीर कुमार आदि ने श्री अब्दुल अजीज से यह जमीन दिनांक 12-8-83 को खरीदी थी। यह सारी बाते प्रार्थी के द्वारा दिनांक 27-12-93 को खरीदी गयी जमीन की रजिस्ट्री मे लिखी है।

सांईपुरम कालोनी विकसित करने के लिए अब्दुल अजीज आदि चार भाइयो नें मेरठ विकास प्राधिकरण से मानचित्र संख्या-61 दिनांक 30-12-1982 सें 29-12-1985 पास कराया था। प्रार्थी अपने माता पिता की रजिस्ट्री की सर्टीफाइड कापी सलंग्न है। अब्दुल अजीज पुत्र नवाज खान निवासी लिसाडी दरवाजा एक प्लाट को अनेक व्यक्तियो के बेचने के जुर्म में कई बार जेल की सजा काट चुका है। दिनांक 9-1-2025 को प्रार्थी ने जन सुचना अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ सें अब्दुल अजीज के आपराधिक इतिहास की जानकारी माँगी है।

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, P-41 P-9

सीरियल नं०-7 Annexture-6 में मधुकर सहाय से भी अभिषेक पाण्डे-उपाध्यक्ष-मेरठ विकास प्राधिकरण ने झूठा शपथ पत्र लिया है। मैंने सन 1994 मे मेरठ विकास प्राधिकरण से साईंपुरम कालोनी का मानचित्र संख्या-61 दिनांक 30-12-1982 से 29-12-1985 लिया था। यह मानचित्र मेरे पास बहुत कमजोर हालत मे है। ट्रिब्युनल चाहे तो इस मानचित्र की फौरेंसिक जाँच केन्द्रीय जाँच ब्युरो (C.B.I) की CFSL लैब मे करा सकती है मै इस मानचित्र को ट्रिब्युनल को सौंप दूँगा।

सीरियल नं०-9 Annexture-9 में A.C.M (Second) द्वारा केस संख्या 03/2001, अजय सहगल आदि बनाम रघुवीर सिंह दिनांक 28-1-2002 के आदेश की प्रति लगायी गयी है। अजय सहगल उस समय सांईपुरम कालोनी का अध्यक्ष था। और पब्लिक पार्क पर कब्जा किये रघुवीर सिंह, मैहर सिंह से मिलीभगत करके केस की सही पैरवी नही की। बाद मे अजय सहगल ने जगन्नाथपुरी कालोनी के पब्लिक पार्क पर कब्जा कर लिया। प्रार्थी ने ट्रिब्युनल मे केस संख्या-1096/2024 चन्द्र शेखर गुप्ता बनाम उ० प्र० सरकार दायर किया और अजय सहगल आदि से जगन्नाथपुरी कालोनी के पब्लिक पार्क मे किये गये निर्माण को ध्वस्त किया गया। दिनांक-25-1-2000 को जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ को 'सांईपुरम पब्लिक पार्क' के सम्बन्ध मे एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि भू-माफिया पब्लिक पार्क पर कब्जा करना चाहते है। इस प्रार्थना पत्र पर रघुवीर सिंह और मैहर सिंह के भी दस्तखत है। बाद मे पब्लिक पार्क पर रघुवीर सिंह और मैहर सिंह ने कब्जा कर लिया।

जिस तरह अपराधी एक अपराध छिपाने के लिए अनेक अपराध करता है। इसी तरह अभिषेक पाण्डे-उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा 'साईपुरम पब्लिक पार्क' पर कब्जा किये व्यक्तियो को बचाने के लिए अनेक अपराध कर रहे है।

P-10

सीरीयल 10, Annexture-9 मे माननीय सुप्रीम कोर्ट मे दायर Writ Petition (civil) No. 295/2022, जमीयत उलमा ए हिन्द बनाम North Delhi Municipal Corp. & others की कापी लगायी गयी है।
दिनांक 4-1-2025 को मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा जगन्नाथपुरी कालोनी के पब्लिक पार्क के अन्दर राहुल छाबडा द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। प्रार्थी द्वारा ट्रिब्युनल में दायर वाद संख्या- 1096/2024 चन्द्रशेखर गुप्ता बनाम उ० प्र० सरकार मे ध्वस्तीकरण की जानकारी दी गयी है।

सीरीयल नं०-11, Annexture-10 में बताया गया है कि प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा पब्लिक पार्क के अन्दर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी, ब्रह्मपुरी-मेरठ को पत्र लिखा गया। ध्वस्तीकरण कार्यवाही का केवल दिखावा किया गया।

सीरीयल नं०-12, Annexture-11 मे बताया गया है कि मेहर सिंह, श्रीमति किरण भाटिया, विवेक बन्सल- पुनीत बन्सल, श्रीमति वीना देवी द्वारा दिनांक 10-12-2024 को न्यायालय आयुक्त मे अपील दायर की गयी है। मेहर सिंह की अपील पहले ही कैंसिल हो चुकी है। अब्दुल अजीज द्वारा 'सांईपुरम पब्लिक पार्क' को मेहर सिंह, देवेन्द्र सिंह रघुवीर सिंह व सुमन रानी W/o रघुवीर सिंह को बेंच दिया था। न्यायालय आयुक्त ने इन चारो व्यक्तियो द्वारा ध्वस्तीकरण के खिलाफ की गयी अपील को पहले ही कैंसिल कर दिया था। ट्रिब्युनल की कार्यवाही से बचने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारीयो नें पब्लिक पार्क पर कब्जा किये व्यक्तियो सें दिनांक 10-12-2024 को न्यायालय आयुक्त, मेरठ मे अपील दायर करा दी है।

P-3

Before The National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi

M. A. No. 61/2023
in
Original Application No. 736/2018.

Chandra Shekhar Gupta — Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & others — Respondent(s)

आदरणीय जज साहब,

सांई पुरम इण्डस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली रोड, मेरठ-30 प्र० में 'सांई पुरम पब्लिक पार्क' है। इस पब्लिक पार्क का साइज 84 X 279 फीट है। सांईपुरम इण्डस्ट्रीयल एरिया, मेरठ विकास प्राधिकरण से मानचित्र संख्या-61 दिनांक 30-12-1982 स्वीकृत है। पब्लिक पार्क खसरा संख्या-H-2085 E 2082 है।

दीपक मीणा, जिला मजिस्ट्रेट-मेरठ व अभिषेक पाण्डे, उपाध्यक्ष-मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा सांईपुरम इण्डस्ट्रीयल एरिया के बारे में गलत जानकारी दी गयी है। यह सब साजिश पब्लिक पार्क पर कब्जा किये हुए व्यक्तियों को बचाने के लिए की गयी है।

1. जिला मजिस्ट्रेट-मेरठ द्वारा ट्रिब्युनल को भेजी रिपोर्ट में बताया गया कि मानचित्र संख्या 2 Digit में नही है। 4 Digit में है।

जबकि जगन्नाथपुरी कालोनी, बहादुर मोटर के पीछे थाना ट्रांसपोर्ट नगर का मानचित्र संख्या-96 है। जगन्नाथपुरी एक्सटैंशन कालोनी का मानचित्र संख्या-97 है

मंगतपुरम कालोनी, गोपाल गऊ शाला के पीछे, दिल्ली रोड मेरठ का मानचित्र संख्या - 146 दिनांक 2-5-1989 है।

2. उपाध्यक्ष - मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र रजिस्टर 1979 से 1988 Year का ट्रिब्युनल को दिखाया गया यह रजिस्टर फर्जी था। मैने ट्रिब्युनल से रजिस्टर की फोरेंसिक जाँच कराने के लिए कहा था।

3. उपाध्यक्ष - मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा माननीय ट्रिब्युनल को जानकारी दी गयी कि मेरठ में साल - 2006 - 2007 में flood आयी थी और flood में फाइल नष्ट हो गयी। मेरठ में साल 2006 - 2007 में कोई flood नही आयी मैहर सिंह, देवेन्द्र सिंह, रघुवीर सिंह व सुमन रानी के द्वारा पब्लिक पार्क पर कब्जा करते ही मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारीयो को रुपये देकर सांईपुरम कालोनी के सभी दस्तावेज मानचित्र सहित गायब करा दिये गये।

4. दिनांक 30-9-2024 को अभिषेक पाण्डे, उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रिब्युनल को बताया गया कि जगन्नाथपुरी कालोनी, बहादुर मोटर के पीछे थाना ट्रॉंसपोर्ट नगर, मेरठ का मानचित्र संख्या - 96 है।

5. दिनांक 8-9-2024 को प्रिंसीपल बैन्च, नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल को प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सभी साक्ष्य भेज दिये थे।

6. दिनांक 23-12-2023 को दीपक मीणा - जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ को अपने कैम्प कार्यालय पर मीटिंग बुलायी थी। मीटींग मे प्रार्थी के अलावा रंजीत सिंह - OSD, MDA, JE - MDA, भुवन यादव RO - जिला प्रदुषण बोर्ड उपस्थित थे। जिला मजिस्ट्रेट ने अभिषेक पाण्डे - उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को फोन करके कहा कि जब मानचित्र संख्या - 60 है मानचित्र संख्या - 62 है तो मानचित्र संख्या - 61 कहाँ गायब हो गया। मानचित्र संख्या - 61 को ढुँढो अगर मानचित्र संख्या - 61 नही मिलता है तो

मानचित्र संख्या-61 गायब करने वाले अधिकारी के खिलाफ F.I.R दर्ज कराओ। यह सारी बातचीत 13 मिनट 22 सेकिण्ड की है। यह सारी बातचीत मौबाइल मे रिकार्ड कर ली थी। लेकिन जब दीपक मीणा, जिला मजिस्ट्रेट-मेरठ द्वारा ट्रिब्युनल को भेजी रिपोर्ट बदल दी गयी और 2 Digit को 4 Digit मे कर दिया गया। अगर मैने यह सारी बातचीत मौबाइल मे रिकार्ड नही की होती तो साजिश के तहत मुझे ही जाल मे फसा दिया जाता। यह आडियो रिकाडिंग ट्रिब्युनल को भेज दी थी।

7. I(अ) सांईपुरम कालोनी का मानचित्र संख्या-61 दिनांक 30-12-1982 से दिनांक 29-12-1985 तक है।

II(ब)- जगन्नाथपुरी कालोनी, बहादुर मोटर के पीछे, ट्रासपोर्टनगर का मानचित्र संख्या-96 है।
जगन्नाथपुरी एक्सटैंशन कालोनी, ट्रासपोर्ट नगर का मानचित्र संख्या-97 है।

III(द)- मंगतपुरम कालोनी, गोपाल गऊशाला के पीछे, दिल्ली रोड का मानचित्र संख्या-146 दिनांक 2-5-1989 से दिनांक-1-5-1992 तक है।

8. जिला मजिस्ट्रेट के अधिवक्ता अंकित वर्मा द्वारा ट्रिब्युनल मे उपस्थित होकर बताया गया कि पब्लिक पार्क पर कब्जा किये व्यक्तियो की अपील कमीशनर-मेरठ की कोर्ट मे Pending है इसलिए ट्रिब्युनल में पब्लिक पार्क का केस बन्द किया जाये लेकिन जब कमीशनर-मेरठ कोर्ट में अपील निरस्त हो गयी तो इसकी जानकारी अधिवक्ता द्वारा ट्रिब्युनल को नही दी गयी।

9. जिला मजिस्ट्रेट-मेरठ व उपाध्यक्ष-मेरठ विकास प्राधिकरण प्रार्थी द्वारा ट्रिब्युनल को भेजी रिपोर्ट के इन्तजार मे है। अभिषेक पाण्डे उपाध्यक्ष-मेरठ विकास प्राधिकरण को ट्रिब्युनल ने दिनांक 30-9-2024 को चार सप्ताह के अन्दर नयी रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था

सीरीयल नं० 3, Annexture-2
अभिषेक पाण्डे, उपाध्यक्ष- मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रिब्युनल को भेजी गयी सभी रिपोर्ट फर्जी है झुठी है। इसलिए हवा मे ड्रोन को उड़ाकर ट्रिब्युनल को बहकाना चाहते है।

निष्कर्ष

1. अभिषेक पाण्डे, उपाध्यक्ष- मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार ट्रिब्युनल को गुमराह किया है।
2. अभिषेक पाण्डे, उपाध्यक्ष- मेरठ विकास प्राधिकरण ने अपने पद का दुरुपयोग किया है
3. उपाध्यक्ष - मेरठ विकास प्राधिकरण ने ट्रिब्युनल में शपथ पत्र देकर झुठ बोला है।

प्रार्थना

1. 'सांईपुरम पब्लिक पार्क' से तत्काल कब्जा हटाने का आदेश करे व पब्लिक पार्क पर कब्जा किये व्यक्तियो पर भु- माफिया एक्ट में कार्यवाही का आदेश दें।
2. अभिषेक पाण्डे - उपाध्यक्ष- मेरठ विकास प्राधिकरण, पर गलत जानकारी देने व सही जानकारी छिपाने के जुर्म में 1 करोड 20 लाख का जुर्माना लगाये।
3. अभिषेक पाण्डे - उपाध्यक्ष- मेरठ विकास प्राधिकरण को तत्काल नौकरी से बरर्खास्त करें।

प्रार्थी

दिनांक - 21-1-2025

चन्द्र शेखर गुप्ता
103, गली नं० 3
सांई पुरम, दिल्ली रोड, मेरठ
M. No. 7906792648.

CS Gupta

1092

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रू.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

77AE 930381

प्रमाणित किया जाता है कि 10/– रूपये मात्र का ई–स्टाम्प नकल संख्या ....21404..../2023 के साथ संलग्न किया गया है कि जो दिनांक....31/1/1994..को बही नम्बर ...I.... की जिल्द ....831........ के सफें ..223/256...... मे दस्तावेज नम्बर 454..........पर हुई दस्तावेज की सत्य एवं प्रमाणित फोटोस्टेट प्रतिलिपि के रूप मे सब रजिस्ट्रार कार्यालय मेरठ के अभिलेखागार से आज दिनांक...30/9/23........को नकल के रूप मे जारी की गई।

सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी रिकार्डकीपर अभिलेखागार कार्यालय
उपनिबन्धक सदर, मेरठ

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. R$ 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

17 JAN 1994

ATTESTED

Padmini Kumar
M.A.LL.B
Advocate

ATTESTED

Surabh Kumar
M.A.LL.B
Advocate

। बैनामा ।

। बाबत उपनिबन्धक लेविन्ड ।

आराजी मुबैया आवासीय है और अन्दर के इलाके मे जंगल शरिये मे स्थित है।

स्टाम्प शुल्क १५०००।- रूपये - आवास शुल्क २४००।- रूपये योग:- १७४००।- रूपये ।।

Padmatma Saran — Padmatma Saran

Rai Babu — Rai Babu

Kamlesh Kumar — Kamlesh Kumar

Lai Bhagwan — Lai Bhagwan

Pawan Kumar — Pawan Kumar

Sanjeev Kumar — Sanjeev Kumar

सत्य प्रतिलिपि

1094

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

27 JAN 1994

- २ -

१- बैनामा- विक्रय मूल्य ७५०००/- पिचहत्तर हजार रुपये और स्टाम्प रजिस्ट्री के मौजूदा कानूनों का लिहाज रखते हुये मुबलिग १,२०,०००/- एक लाख बीस हजार रुपये पर अदा किया जा रहा है।

२- आराजी मुबैया के बारे मे एक इकरारनामा माहिदा बय दिनांक २७-१२-९३ ई० इकरारी श्री परमात्मा शरण आदि बनाम श्रीमती मिथलेश - कुमारी गुप्ता क्रेत्री लिखा गया था जिस पर स्टाम्प तादादी ४३६०/- रुपये -

Parmatma Saran Raj Bala Kamlesh Kumar

Parmatma Saran Raj Bala Kamlesh Kumar

Lalit Bhagishwar Pawan Kumar Sanjeev Kumar

Lalit Bhagishwar Pawan Kumar Sanjeev Kumar

सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी रिकार्डकीपर अभिलेखागार कार्यालय
उपनिबन्धक सदर, मेरठ

सारा ... पाटन श्री श्री

.../10. ... किया गया

.../...वास्ते

28-1-94

सिर कर्ता

पुष्टि कर्ता

...मूल - प्रतिपत्र की नकल व सही

फोटोस्टेट प्रति है।

दिनांक 29.1.94

Parmatma Saran, Ravi Bala, Kamlesh Kumar, Lai Bhagwan, Pawan Kumar, Sanjeev Kumar

262

31-1-94

Parmatma Saran

31-1-94

Parmatma Saran, Ravi Bala, Kamlesh Kumar, Lai Bhagwan

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. R$ 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

27 JAN 1994

- ३ -

का अदा कियागया था और उस इकरारनामे की रजिस्ट्री फोटो स्टेट प्रति पुस्तक संख्या १ खण्ड ८१० के सुफे ६।२२ मे नम्बर ६६६१ पर बतारीख २७-१२-६३ई० दफ्तर सब रजिस्ट्रार मेरठ सैकिन्ड हुई, इसउपरोक्त रकम मे से १००।- रूपेयका स्टाम्प इकरारनामे का काटकर बकिया रकम मुबलिग ४५६०१- रूपये का स्टाम्प बैनामे हाजा के स्टाम्प मे से मुजरक किया गया है और अब बैनामे हाजा पर मुबलिग १२८१०१- बारह हजार

Palmatma Saran | Rai Bala | Kamlesh Kumar
Palmatma Saran | Rai Bala | Kamlesh Kumar

Coil Bhageswar | Pawan Kumar | Sanjeev Kumar
Coil Bhageswar | Pawan Kumar | Sanjeev Kumar

सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी रिकार्डकीपर अभिलेखागार कार्यालय
उपनिबन्धक सदर मेरठ

5-150

मि... कर्ता

पुष्टि कर्ता

ATTESTED

28-1-94

Kumar

...rbhi Kumar
M.A.LL.B
Advocate, Meerut

ATTESTED

Sanjeev Kumar

Surbhi Kumar
M.A.LL.B
Advocate, Meerut

ATTESTED

Surbhi Kumar
M.A.LL.B
Advocate, Meerut

ATTESTED

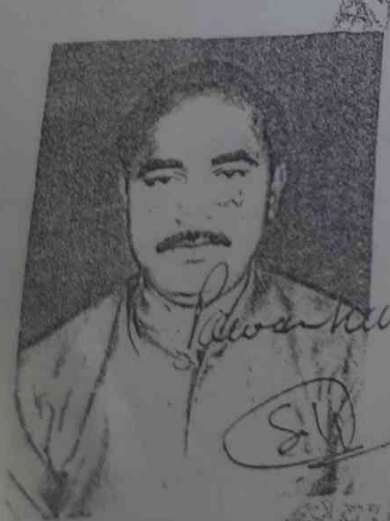

Pawan Kumar

Surbhi Kumar
M.A.LL.B
Advocate, Meerut

1098

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

27 JAN 1994

आठ सौ दस रूपयेका स्टाम्प अदा किया गया है। योग:- १७४००/- सतरह हजार चार सौरूपये ।।

३- ४८० चार सौ अस्सी मुरब्बा गज आराजी दक्षिण कीओर की मिनजुमले नम्बर खसरा २०८६ दो हजार छियासी वाके कस्बा मेरठ निकट ग्राम नूरनगर परगना व तहसील व जिला मेरठ बेची जा रही है।

४- भूमि का सरकिल रेट २००/- रूपये पर मुरब्बा गज है परन्तु स्टाम्प -

Parmatma Saran — Parmatma Saran

Raj Bala — Raj Bala

Kamlesh Kumar — Kamlesh Kumar

Cal Bhagwan — Cal Bhagwan

Pawan Kumar — Pawan Kumar

Sanjeev Kumar — Sanjeev Kumar

सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी रिकार्डकीपर अभिलेखागार कार्यालय

P-23

1000Rs. 231

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

सत्यमेव जयते

भारत

Rs 1000

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

27 JAN 1996

- ५ -

२५०१- रूपये की मुरब्बा गज पर अदा किया जा रहा है।

हमकि श्री परमात्मा शरण व श्री राजबाबू व श्री कमलेश कुमार व श्री - जयभगवान व श्री पवन कुमार पिसरान श्री राधे श्याम व श्री संजीव कुमार पुत्र स्व० श्री ईश्वर चन्द पुत्र श्री राधे श्याम मजकूर साकिनान मोहल्ला आनन्द पुरी शहर मेरठ के है।

जो कि ४८० चार सौ अस्सी मुरब्बा गज आराजी दक्षिण की ओर की

Parmatma Saran — Rai Babu — Kamlesh Kumar

Parmatma Saran — Raj Babu — Kamlesh Kumar

Jai Bhagwan — Pawan Kumar — Sanjeev Kumar

Jai Bhagwan — Pawan Kumar — Sanjeev Kumar

सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी रिकार्डकीपर अभिलेखागार ...

1100

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

- ६ -

अज प्लाट नम्बर ५६ छप्पन हस्ब पैमायश व महदूदा जैल मिनजुमले नम्बर

खसरा २०८६ दो हजार छियासी वाके कस्बा मेरठ निकट ग्राम नूरनगर

परगना व तहसील व जिला मेरठ। मिल्कियत मकबूजा व जर खरीद

तन्हा मामुकरान बिला शरकत गैरे व मदाखलत दीगरे है। मामुकरान ने

आराजी मजकूर बशमूल दीगर आराजी को जरिये बैनामा मवर्खा -

१२-८-८३ई० श्री अब्दुल अजीज से खरीद की है कि जिसकी रजिस्ट्री-

Padmavati Saran / Padmavati Saran — Rai Babu / Rai Babu — Kamlesh Kumar / Kamlesh Kumar

Laiqbneegosee / Laiqbneegosee — Pawan Kumar / Pawan Kumar — Sanjeev Kumar / Sanjeev Kumar

सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी रिकार्डकीपर अभिलेखागार कार्यालय
उपनिबन्धक सदर, मेरठ

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

12 7 JAN 1994

बही नम्बर १ जिल्द २८३६ के सुफे १ फाइल बुक नम्बर १ जिल्द २८३८ के सुफे ४१७।४२० मे नम्बर १०४४५ पर बतारीख ७-१२-८३ दफतर सब रजिस्ट्रार मेरठ हुई, आराजी मजकूर आज की तारीख तक हर तरह के बारे किफालत व सदनात इन्तकालात व नकायस कानूनी मिलकियत व डिग्री व जमानत व किफालत व नीलामीव हस्तान्तरण व लोन सरकारी व गैरसरकारी व दीगर माहिदे जात बय वगैरा वगैराते कतई तौर पर पाक व साफ है -

Parmeshwari Saran / Parmeshwari Saran — Rai Babu / Rai Babu — Kamlesh Kumar / Kamlesh Kumar

[illegible] / [illegible] — Pawan Kumar / Pawan Kumar — Sanjeev Kumar / Sanjeev Kumar

सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी रिकार्डकीपर अभिलेखागार कार्यालय
उपनिबन्धक सदर, मेरठ

1102

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

27 JAN 1994

- ८ -

और मामुकरान तन्हा मालिक व मजाज इन्तकाल है । कोई अमर माने नहीं है। खरीदारान का खरीदारी का ऑफर आराजी मजकूर के लिये हमको मुबलिग ७५०००/- पिच्छतर हजार रुपये का मिल गया है कि जो मारकेट रेट के ऐन मुताबिक है। लिहाजा ४८० चार सौ अस्सी मुरब्बा गज आराजी दक्षिण की ओर की मजकूरे बाला को मय तमामी हक हकूक व मुताल्लकात हरकिस्म जिला इस्तसनाये किसी भी जुज राय व हक के ख्वाह उसकी -

Padmadhar Saran — Padmadhar Saran
Rai Babu — Rai Babu
Kamlesh Kumar — Kamlesh Kumar

Laxmeshwari — Laxmeshwari
Pawan Kumar — Pawan Kumar
Sanjeev Kumar — Sanjeev Kumar

सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी रिकार्डकीपर अभिलेखागार कार्यालय
उपनिबन्धक सदर, मेरठ

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

- ६ -

मराहिक्त दस्तावेज हाजा मे की गयी हो या न की गयी हो अपनी रेन खुशी व रजामन्दी से बहालत सेहत नफस व सबाते अक्ल बमुकाबले मुबलिग ७५०००/- पिचहत्तर हजार रुपये कि आधे जिसके मुबलिग ३७५००/- सैतीस हजार पाच सौ रुपये होते है । बदस्त श्रीमती मिथलेश कुमारी गुप्ता धर्म पत्नि श्री श्रीकिशन - गुप्ता साकिन मोहल्ला बीरू कुआ शहर मेरठ के बय कतई कर दी और बेच - डाली और जरे समन तमाम व कमाल मामुकरान ने खरीदारा मौसूफा से -

Palmatma Saran Raj Bala Kamlesh Kumar

Palmatma Saran Raj Bala Kamlesh Kumar

Lai Bhagwan Pawan Kumar Sanjeev Kumar

Lai Bhagwan Pawan Kumar Sanjeev Kumar

सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी रिकार्डकीपर अभिलेखागार कार्यालय
उपनिबन्धक सदर, मेरठ

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते
भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

हस्ब तफसील जैल वसूल पाकर आराजी मुबिया मजकूरे बाला को अपने कब्जे दखल व तहते मिलकियत से निकाल बकब्जेदखल व तहते मिलकियत खरीदारा मौसूफा के देकर मालिक मुस्तकिल व वाकई कर दिया । बायुकरान ने आराजी मुबिया मे से १५० एक सौ पचास मुरब्बा गज आराजी जानिबे उत्तर पर कतई खाली का कब्जा यौमे इकरारनामा ही खरीदारा को दे दिया था । और बकिया ३३० तीन सौ तीस मुरब्बा गज आराजी -

Palmatma Saran — Raj Babu — Kamlesh Kumar
Palmatma Saran — Raj Babu — Kamlesh Kumar

Lai Bhagwan — Pawan Kumar — Sanjeev Kumar
Lai Bhagwan — Pawan Kumar — Sanjeev Kumar

सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी रिकार्डकीपर अभिलेखागार कार्यालय
उपनिबन्धक सदर, मेरठ

1105

243

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

R$ 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

- ११ -

का वतई खाली का कब्जा आज मौके पर मामुकरान ने खरीदारा मौसूफा को दे दिया है। इस तरह पर खरीदारा मौसूफा का कब्जा कामिल ४८० चार सौ अस्सी मुरब्बा गज आराजी मुबैया पर हो गया है। अब मामुकरान का कोई ताल्लूक व वास्ता या कोई हके मिलकियत किसी भी किस्म का आराजी मुबैया मजकूरे बाला से आईन्दा के वास्ते बाकी नहीं:-

Parmatma Saran
Parmatma Saran

Raj Bala
Raj Bala

Kamlesh Kumar
Kamlesh Kumar

Lal Bhagwan
Lal Bhagwan

Pawan Kumar
Pawan Kumar

Sanjeev Kumar
Sanjeev Kumar

सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी रिकार्डकीपर अभिलेखागार कार्यालय
उपनिबन्धक सदर, मेरठ

CIAL

१०००रु. सत्यमेव जयते भारत Rs 1000

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

27 JAN 1994

रहा और न होगा। तकाबिजउल बदलेन अमल मे आया बय हाजा सहीव जायज व काबिले नफाज है और पाक है हर तरह के नकायस्व मवासे जात से। खरीदारा आराजीमुबैयामे अपनी तामीरात मुताबिक बाईलाज - लोकल बोडीज करने की मजाज रहेगी और अपनी तामीरात के दरवाजे खिडकी नाली व परनाले व रोशनदान वगैरा सब जानिबे रास्ता रक्खेगी।

Parmatma Saran — Raj Bala — Kamlesh Kumar

Parmatma Saran — Raj Bala — Kamlesh Kumar

Lalit Bhargava — Pawan Kumar — Sanjeev Kumar

Lalit Bhargava — Pawan Kumar — Sanjeev Kumar

सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी रिकार्डकीपर अभिलेखागार कार्यालय
उपनिबन्धक सदर, मेरठ

INDIA NON JUDICIAL

५०० रू. Rs 500

सत्यमेव जयते
भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

27 JAN 1994

दीगर अतराफमें खरीदारान को कोई हके आसायश हासिल न होगा। अगर किसी वक्त कोई खर्चा डवलपमेन्ट नाली व रास्ते वगैरा का देना पड़ेगा तो उसके अदा करने की जिम्मेदारी खुद खरीदारान की रहेगी । अगर अब या आइन्दा बवजह दावेदारी किसी सहीम व शरीक वारिस या जानशीन मुस्तहिक व हकदार या नुक्स कानूनी या मिलकियत के कोई जुज या कुल शय मुबैया का -

Palnathma Saha — Palnathma Saha

Raj Bala — Raj Bala

Kamlesh Kumar — Kamlesh Kumar

Ravi Bhargava — Ravi Bhargava

Pawan Kumar — Pawan Kumar

Sanjeev Kumar — Sanjeev Kumar

सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी रिकार्डकीपर अभिलेखागार कार्यालय
उपनिबन्धक सदर, मेरठ

1108

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

कब्जेदखल व तहते मिलकियत खरीदारा नौसूपना से निकल जायेगा या मातुकरान

वाहिद मालिक व मजाज इन्तकाल शय मुबैया करार न पायेंगे और गलत तौर

पर इसका बय करना साबित होगा या बैनामा हाजा जुजअन या कुलअन किसी

अदालत रायजुल वक्त से खारिज या मनसूख करार पा जायेगा तो ऐसी हर सूरत

वाहिद में खरीदारा के वापसी जरे समन बमय हरजे व खर्चे हरकिस्म व लागत

Parmatma Saran — Raj Babu — Kamlesh Kumar

Parmatma Saran — Raj Babu — Kamlesh Kumar

Lai Bhagwan — Pawan Kumar — Sanjeev Kumar

Lai Bhagwan — Pawan Kumar — Sanjeev Kumar

सत्य प्रतिलिपि

R-33

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

24 JAN 1994

- १५ -

माबाद मय सूद कानूनी व अखराजात अदालती कि जिम्मेदारी मामुकरान व वारिसान जानशीनान मुकरान की जात खास व जुमला जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म पर आयद व कायम रहेगी जिसमे किसी को कुछ उज्र न होगा। लिहाजा यह बैनामा कसई लिख दिया कि सनद हो और वक्त जरूरत काम आवे। फकत।

। पैमायश व हदूदरबा आराजी मुबैया।

पूरब :- ३६ छत्तीस फिट। 30 तीस फिट चौडा रास्ता।

Palnatha Saha — Rai Baba — Kamlesh Kumar

Palnatha Saha — Rai Baba — Kamlesh Kumar

Leni Bhagwan — Pawan Kumar — Sanjeev Kumar

Leni Bhagwan — Pawan Kumar — Sanjeev Kumar

सत्य प्रतिलिपि

CIAL

१००रु. Rs 100

सत्यमेव जयते
भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

पश्चिम :- ३६ छत्तीस फिट। प्लाट श्री परमात्मा शरण ।

उत्तर :- १२० एक सौ बीस फिट। चारदी अस्ली मुरब्बा पर आराजी मिल्कियत

मामुकरान जिसको श्री, श्रीकिशन गुप्ता खरीद कर रहे है।

दक्षिण :- १२० एक सौ बीस फिट। प्लाट श्री राकेश कुमार गोयल आदि ।

। तफसील वसूल याबी जरे समन ।

१- मामुकरान खरीदारा मौसूफान से जरिये इकरारनामा दिनांक २७-१२-९३ ई०

रजिस्ट्री जुदा वसूल पा चुके है मुबलिग ५०००।- पांच हजार रुपये ।

Parmatma Saran — Parmatma Saran
Raj Bala — Raj Bala
Kamlesh Kumar — Kamlesh Kumar

Lal Bhagwan — Lal Bhagwan
Pawan kumar — Pawan kumar
Sanjeev Kumar — Sanjeev Kumar

सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी रिकार्डकीपर अभिलेखागार कार्यालय
उपनिबन्धक सदर, मेरठ

१०रू.

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

TEN RUPEES

10RS

२- पामुकरान ने खरीदारान से नक्द हंगाम रजिस्ट्री रूबरू जनाब सब रजिस्ट्रार साहब वसूल पाये मुबलिग ७०,०००/- सत्तर हजार रुपये ।

मीजान कुल :- ७५०००/- पिचहत्तर हजार रुपये ।।

Parmatma Saran   Raj Babu   Kamlesh Kumar

Lai Bhagwan   Pawan Kumar   Sanjeev Kumar

गवाह ~~[illegible]~~   गवाह S.K Gupta

S/o रतन पाल

556 लक्ष्मण पुरी

मेरठ

L.N Gupta

134, BEERU WELL

MEERUT

दिनांक:- २६ जनवरी सन १९९४ ई० मसविदा श्री बनारसीदास रामविसी के नवीस मेरठ व टा० व फोटो प्रमाणित करता सुरभि कुमार एडवोकेट मेरठ।।

सत्य प्रतिलिपि

8.11

प्रभारी रिकार्डकीपर अभिलेखागार कार्यालय

उपनिबन्धक सदर, मेरठ

दस्तावेज लेखक का नाम बनारसीदास शर्मा

अनुज्ञप्ति संख्या ७ ... दिनांक ३१-3-९५ तक विधिमान्य

जिला और स्थान ... मेरठ

ली गयी फीस ... २२रु. स्टे. वा२रु.२२पैसे

हस्ताक्षर लेखक का हस्ताक्षर [illegible]

Parmatma Saran   Raj Babu   Kamlesh Kumar   Lai Bhagwan   Pawan Kumar

Sanjeev Kumar

1112

0 39
P-36
Speed Post

To,
जन सुचना अधिकारी
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ - उ० प्र०

श्री मान जी,

अब्दुल अजीज पुत्र जनाब नवाज खान
निवासी- लिसाडी दरवाजा, मेरठ - उ० प्र०

1. उपरोक्त व्यक्ति पर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज है।
2. उपरोक्त व्यक्ति का आपराधिक इतिहास क्या है।
3. उपरोक्त व्यक्ति पर कितने मुकदमे कोर्ट मे लम्बित है। ओर उपरोक्त व्यक्ति कितने मुकदमे में जेल मे रहकर सजा काट चुका है।

यह सारी जानकारी मुझे मा० नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, प्रिंसीपल बैन्च, नई दिल्ली में मुकदमा सख्याँ- 61/2023 चन्द्र शेखर गुप्ता बनाम उ० प्र० सरकार व अन्य में 29-1-2025 से पहले भेजनी है।
आवेदक पत्र के साथ शुल्क के रूप मे दस रुपये 39G-207998 सलंग्न कर रहा हुँ।

दिनांक- 9-1-2025

आवेदक
चन्द्र शेखर गुप्ता
103, गली नं० - 3
सांई पुरम, दिल्ली रोड, मेरठ
थाना - बृह्मपुरी
मो० - 7599653075

EU592798009IN IVR:6985392798009
SP BUDHANA GATE SO <250002>
Counter No:1,09/01/2025,14:20
To:JAN SUCHNA AD.OFFICE S.S.P. PO
PIN:250003, Meerut Kutchery SO
From:CHANDER SHEKHER GUPTA,MEERUT
Wt:10gms
Amt:17.70,Tax:2.70,Amt.Paid:18.00(Cash)
(Track on www.indiapost.gov.in)

भारतीय डाक
India Post

सवाल संख्या - 920 / दिनांक 4-3.23 P-37 शब्द लगभग -60

3ब

मण्डल:- मेरठ

न्यायालय आयुक्त

वाद संख्या:- 00154/2019

मेहर सिंह बनाम मेरठ विकास प्राधिकरण

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-C201911000000154

अंतर्गत धारा:- 27(2),उ0प्र0 शहरी योजना और विकास अधिनियम,1973

आदेश तिथि:- 20/09/2021

अंतिम आदेश

नकल-<u>निर्णय</u>-दिनांक 20-09-2021

यह अपील श्री मेहर सिंह पुत्र श्री जागीर सिंह, निवासी गली नम्बर 03, साई पुरम निकट मेवला फाटक, मेरठ की ओर से जोनल अधिकारी, जोन-ए, मेरठ विकास प्राधिकरण, द्वारा प्रकरण संख्या-124/18/2018 में पारित आदेश दिनांक 26-12-2018 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी के अवैध निर्माण को ध्वस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि प्राधिकरण में प्रश्नगत वाद की कार्यवाही क्षेत्रीय अवर अभियन्ता की आख्या दिनांक 30-06-2018 के आधार पर प्रारम्भ हुई, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा गली नम्बर 03, साई पुरम निकट मेवला फाटक, मेरठ पर अवैध/अनाधिकृत निर्माण किया गया है। अवर अभियन्ता की उक्त आख्या के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कार्य रोको आदेश दिनांक 04-07-2018 निर्गत किया गया तथा अपीलार्थी को दिनांक 11.08.2018 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु समय प्रदान किया गया, परन्तु अपीलार्थी द्वारा न तो निर्माण कार्य रोका गया और न ही प्राधिकरण के समक्ष कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके उपरान्त प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी के निर्माण को ध्वस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। प्राधिकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा मुख्य रूप से उल्लिखित किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा एकपक्षीय रूप से ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है, उनके द्वारा प्राधिकरण के आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उपरोक्त से विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना अनाधिकृत निर्माण किया गया जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा कार्य रोको आदेश निर्गत कर अपीलार्थी को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्राधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 07.07.2018 प्रस्तुत कर निर्माण को शमन किये जाने का अनुरोध किया गया जिसके परीक्षण के उपरान्त प्राधिकरण के पत्र दिनांक 17.07.2018 के द्वारा अपीलार्थी को शमन के सम्बन्ध में पायी गई आपत्तियों के निराकरण हेतु सूचित किया गया परन्तु अपीलार्थी द्वारा आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया। जिस पर प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0, नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) तथा भवन निर्माण उपविधियों व महायोजना के प्राविधानों के आधार पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है। ऐसी दशा में प्राधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश

P-41
P-38
38/2

उचित प्रतीत होने के कारण उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता परिलक्षित नहीं होती है तथा प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध योजित प्रश्नगत अपील बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

-: आदेश:-

अपील निरस्त की जाती है। आदेश की सत्यापित प्रति सहित उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की पत्रावली अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये। आवश्यक कार्यवाही उपरान्त इस न्यायालय की पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाये।

दिनांक: 20.09.2021

(सुरेन्द्र सिंह)
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 20.09.2021 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर उदघोषित किया गया।

(सुरेन्द्र सिंह)
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

सत्य प्रतिलिपि

आयुक्त न्यायालय
मेरठ मण्डल, मेरठ।

4-3-23

4-3-23
4-3-23
4-3-23
12-50

4-3-23

आदरणीय मैडम सेल्वा कुमारी जे
कमीशनर, मेरठ जोन, मेरठ, उ० प्र०

मैडम, सांईपुरम कालोनी, दिल्ली रोड, मेरठ मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र सख्या-61, दिनांक-30-12-1982 से दिनांक 29-12-1985 है। 'सांईपुरम पब्लिक पार्क' जिसका साइज 84x279 वर्ग फीट है। इस पब्लिक पार्क पर भू-माफियाओ द्वारा अवैध निर्माण कर लिया है।

प्रार्थी द्वारा 'सांईपुरम पब्लिक पार्क' से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने व पार्क को कब्जा मुक्त कराने के लिए नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, प्रिंसीपल बैन्च, नई दिल्ली मे वाद सख्यां-61/2023 चन्द्र शेखर गुप्ता बनाम उ० प्र० सरकार आदि दायर किया हुआ है। पार्क पर कब्जा किये हुए व्यक्तियो नें न्यायालय आयुक्त के यहाँ मेरठ विकास प्राधिकरण के खिलाफ अपील दायर की थी। यह अपील दिनांक 20-9-2021 को निरस्त कर दी गयी है।

1. दिलशाद बनाम मेरठ विकास प्राधिकरण, कम्पयुटीकृत वाद सं० C 201911000000158
2. रघुवीर सिंह बनाम मे० वि० प्रा० वाद सख्या C 201911000000157
3. धर्मवीर दुग्गल बनाम मे० वि० प्रा० वाद सं० C-201911000000155
4. मैंहर सिंह बनाम मे० वि० प्रा० वाद सं० C-201911000000154

दिनांक 10-12-2024 को मैंहर सिंह, श्रिमति किरण भाटिया, विवेक वत्सल, श्रीमति वीना देवी, कम्प्युटरीकृत वाद सख्यां C-20241100000813, 00000814, 00000815, 00000816 है। पार्क पर कब्जा किये व्यक्तियो ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली की कार्यवाही से बचने के लिए न्यायालय आयुक्त के यहां अपील दायर की है। मैंहर सिंह पुत्र जगबीर सिंह की अपील न्यायालय आयुक्त द्वारा दिनांक 20-9-2021 को निरस्त कर दी गयी थी। मैंहर सिंह पुत्र जगबीर सिंह द्वारा न्यायालय आयुक्त में 10-12-2024 को दोबारा अपील दायर की गयी है।

प्रार्थना

P-40

1. यह है कि मेहर सिंह पुत्र जगबीर सिंह
श्रीमति किरण भाटिया पत्नि चरणजीत सिंह भाटिया
विवेक बन्सल, पुनीत बन्सल पुत्रगण स्व० राकेश
श्रीमति वीना देवी पत्नि प्रेमपाल शर्मा
के द्वारा दिनांक 10-12-2024 को आपके यहाँ की गयी अपील
तत्काल निरस्त करने की कृपा करे।
ताकि प्रार्थी द्वारा दायर नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, प्रिंसीपल बैन्च,
नई दिल्ली मे वाद संख्या - 61/2023 in O.A. No. 736/2018
चन्द्र शेखर गुप्ता बनाम उ० प्र० सरकार आदि
में सुनवाई पुरी होकर 'सांईपुरम पब्लिक पार्क' मे बने
अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पुरी करके
'सांईपुरम पब्लिक पार्क' कब्जा मुक्त हो सके।
'सांईपुरम पब्लिक पार्क' पर कब्जा करने वाले भु- माफिया
मोस्ट वाण्टेड अपराधी बदनसिंह बद्दो के गुर्गे है।
नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली मे 'सांईपुरम पब्लिक पार्क'
की सुनवाई की तारीख 29-1-2025 है। पत्र के साथ
नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेश की प्रति दे रहा हूँ।

प्रार्थी

दिनांक - 11-1-2025
15-1-2025

C-S
[signature]

चन्द्र शेखर गुप्ता
103, गली नं० 3
सांईपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ-3[illegible]
मो०सं० 7599653075

P-41 333

1117

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
मेरठ।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि साईपुरम निकट रेलवे क्रासिंग दिल्ली रोड, थाना ब्रहमपुरी, मेरठ में मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ द्वारा स्वीकृत मानचित्र में उपरोक्त पुरम वासियो के लिए क्षेत्रफल 2604 [illegible] गज जिसका एरिया 84×279 तथा उपरोक्त भूमि का खसरा नं0 एव 2085 ई0 2082 है । एम0डी0ए0 मानचित्र सं0 6। में दिनांक 30-12-1982 को उपरोक्त खसरा नं0 की भूमि को वहां पर निवास करने वाले व फैक्ट्री में कार्य करने वाले व्यक्तियो के लिये बैठने हेतु एक पार्क निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया था । उपरोक्त पार्क की बुनियाद भरी हुई है तथा उसमें एक मंदिर व नल आदि आने जाने वालो के लिए लगा हुआ है। उपरोक्त पार्क की जमीन पर बदमाश किस्म के 4-5 लोग नाम पता अज्ञात उपरोक्त जमीन पर गैर कानूनी तरीके से अपना स्वामित्व दर्शा कर अवैध रूप से कब्जा करने की फिराक में लगे हुये है उन्हे जब साईपुरम रेजीडैन्स एसोसियेशन के पदाधिकारियो ने उन्हे बताया कि ये जमीन जो मेरठ विकास प्राधिकरण के स्वीकृत मानचित्र में पार्क हेतु छोडी गई है और जिस पर आपका अपना कोई भी विधिक अधिकार नही बनता है उसे आपके द्वारा कब्जा कर विक्रय करना गैर कानूनी है अगर आपके द्वारा पार्क की जमीन का कब्जा व विक्रय किया जाता है तो एसोसेसन के पदाधिकारियो के समझाने का कोई असर नही पड़ा और आये दिन उपरोक्तगण एसोसिऐशन के पदाधिकारियो को व वहा के निवासियो को जो वहां निवास करते है उन्हे धमकी दी कि अगर आपको द्वारा किसी भी प्रकार की उपरोक्त जमीन की बाबत कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई तो उसके गम्भीर परिणाम भुगतने पडेगे ।

अत: श्रीमान जी से न्याय के हित में प्रार्थना है कि उपरोक्तगण जो पार्क की जमीन को अनाधिकृत रूप से कब्जा कर विक्रय करने की फिराक में है जिनका उपरोक्त जमीन से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध वास्ता नही है । उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही कर हम सबकी जान माल की सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करे । उपरोक्त गण किसी भी समय वहां पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी गम्भीर हादसा घटित कर सकते है।

प्रार्थीगण
साईपुरम रेजीडैन्स एसोसिऐशन
मेरठ द्वारा

दिनांक- 25/1/2000

प्रतिलिपि :-

(1) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ ।
(2) थानाध्यक्ष, ब्रहमपुरी, मेरठ ।

1- Navneet Sehgal (President)
2- Ajay Kapoor (Secretary)
3 Rajpal Singh
4 - वीरसिंह

§3§ सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

§4§ अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली ।

§5§ मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ ।

§6§ श्रीमान नगर मजिस्ट्रेट महोदय, मेरठ

नोट- उपरोक्त प्रार्थना पत्र के साथ स्वीकृत मान[redacted] संलग्न है।§

5 – राजवीर सिंह
6 – A K Goel
7 – R. K. [illegible]
8 – [illegible]
9 – [illegible]
10 – [illegible]
11 – [illegible]
12 – [illegible]
13 – [illegible]
14 – [illegible]
15 – [illegible]
16 शेरवी [illegible]
17 R. B. [illegible]